प्रेस नोट दिनाँक-13.09.2020

(1). आज दिनाँक-13.09.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा एलआईसी/ट्राफिक चौराहा/पुरानी कोतवाली चौराहा/बेड़ी पुलिया तिराहा /यूपीटी तिराहा/शिवरामपुर तिराहा/भरतकूप तिराहा/शम्भू पेट्रोल पम्प बैरियर डियूटी को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान महोदय द्वारा डियूटी में लगे पुलिस कर्मियों को संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों को चेकिंग हेतु निर्देश दिये गये।

(2). दिनाँक 13.09.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री यतीन्द्रनाथ उमराव के नेतृत्व में अग्निशमन की टीमों द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्रों को सेनेटाइज किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना राजापुर अन्तर्गत हॉट स्पॉट क्षेत्र (1) सहारा बैंक शाखा राजापुर (2) इलाहाबाद/इण्डियन बैंक बैंक शाखा राजापुर (3) वार्ड नं0 11 राजापुर एवं शिक्षापुरम पूर्वी भाग कस्बा राजापुर को सेनेटाइज किया गया। सेनेटाइजेशन के कार्य में 05 फायर कर्मियों ने 01 फायर टेंडर की सहायता से सम्पादित किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 113/2020 धारा 364/302/201/429 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त (1) दुलुवा उर्फ विधायक यादव पुत्र श्री सीताराम यादव निवासी बजहा पुरवा मजरा हनुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट (2) सुरेश उर्फ कट्टर यादव निवासी पुत्र श्री सुखलाल यादव (3) कल्लू पुत्र लहूरा उर्फ कामता निवासी (4) लहूरा उर्फ कामता पुत्र बुड़का निवासीगण पोखरी पुरवा मजरा सरैंया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट (5) घनश्याम आरख पुत्र स्व0 बाबू सिंह आरख निवासी केकरामार मजरा चुरेह कशेरूवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को सरैया राजापुर रोड पावर हाउस के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

उल्लेखनीय हैं दिनाँक-01.09.2020 को श्री कल्लू यादव निवासी बजहापुरवा मजरा हनुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के पुत्र राजू उर्फ साधू यादव जो बजहा जंगल में बकरी चराने गया था का बकरा चोरी कर लिया था। बकरे के शोर मचाने की आवाज पर मृतक जैसे ही जंगल में पहुंचा कि खकरी की आड़ में घात लगाकर बैठे उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने साथियों की मदद उसे मारपीट कर बंधक बना लिया था। भेद न खुल सके इस कारण मारकर गायब करने के उद्देश्य से सह अभियुक्तगणों के साथ बहिलपुरवा के जंगल में अपहरण कर बंधक बनाए रखे। दिनाँक-05/06.09.2020 की रात्रि में मृतक जब भागना चाहा तो कुल्हाड़ियों से मार कर उसे मरणासन्न कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक के पिता की तहरीर पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0113/2020 धारा 364/302/201/429 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर को निर्देश दिये गये। प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर अपनी टीम के

साथ अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थे कि आज दिनाँक-13.09.2020 को उपरोक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करन में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर
2. वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर
3. उ0नि0 श्री तपेश कुमार मिश्रा थाना मऊ
4. उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू चौकी प्रभारी सरैंया
5. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार चौकी सरैंया
6. मुख्य आरक्षी सचिन कुमार
7. आरक्षी धर्मराज थाना मानिकपुर
8. आरक्षी यशराज थाना मानिकपुर
9. आरक्षी विवेकानन्द चौकी सरैंया
10. आरक्षी राघवेन्द्र चौकी सरैंया